भारत सरकार

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 462**

दिनांक 13 दिसंबर, 2018 को उत्‍तर के लिए

**मी टू पीड़िताओं के लिए विधिक सहायता**

**462. श्री महेश पोद्दारः**

क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) मी टू अभियान में लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं;

(ख) क्या इस प्रयोजनार्थ कोई समिति गठित की गई है; और

(ग) यदि हां, तो इस समिति के संघटन सहित इसके उद्देश्य क्या हैं?

**उत्‍तर**

डा. वीरेंद्र कुमार महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में राज्‍य मंत्री

(क) से (ग) : जी, हां । भारत सरकार ने कार्यस्‍थल पर यौन उत्‍पीड़न की समस्‍या के निपटान और उसे रोकने के लिए कानूनी और संस्‍थागत ढांचों की जांच करने तथा उनके सुदृढ़ीकरण के संबंध में सिफारिशें करने के लिए 24 अक्‍तूबर, 2018 को अपने आदेशानुसार मंत्री समूह का गठन किया है । मंत्री समूह की संरचना इस प्रकार है :

1. श्री राजनाथ सिंह, माननीय गृह मंत्री
2. श्री नितिन गडकरी, माननीय मंत्री, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय तथा जहाजरानी मंत्रालय
3. श्रीमती निर्मला सीतारमण, माननीय मंत्री, रक्षा मंत्रालय
4. श्रीमती मेनका संजय गांधी, माननीय मंत्री, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

\*\*\*\*\*